

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
अपर सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण/पटना),
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:-.....

विषय:-

स्थल अनुपलब्धता के कारण पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्यों को डिस्कोप/सरेंडर करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिन पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु स्थल अभी तक उपलब्ध नहीं है उन योजनाओं को डिस्कोप/सरेंडर किया जाना है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता डिस्कोप/सरेंडर करने योग्य योजनाओं की सूची तैयार कर अधीक्षण अभियंता को उपलब्ध करायेगें, जिसे अनुशंसा के साथ अधीक्षण अभियंता संबंधित मुख्य अभियंता को उपलब्ध करायेगें। मुख्य अभियंता अपनी अनुशंसा के साथ इन योजनाओं की सूची अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि योजनाओं को डिस्कोप/सरेंडर करने हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राजेश कुमार सिंह)

अपर सचिव

ज्ञापांक-

पटना/दिनांक-.....

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अपर सचिव

ज्ञापांक- 3105 (अ)

पटना/दिनांक-....01/4/26

प्रतिलिपि:-आई टी मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव